निविदा सूचना

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी–356 दिनांक 14 मई, 2018 एवं जिलाधिकारी कौशाम्बी के अनुमोदन के क्रम में इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2018–19 के शेष महीनों के लिए सरकारी कार्यों के वास्ते विकास खण्डवार/परियोजनावार टैक्सी परमिटयुक्त वाहन (मॉडल वर्ष 2014 से पूर्व का न हो) किराये पर लेने हेतु इच्छुक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी से मुहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदायें आमंत्रित की जाती है। किराये पर लिये जाने वाले वाहन पर पूरे वित्तीय वर्ष में रूपये दो लाख पचास हजार (प्रत्येक माह वाहन से सम्बन्धित समस्त व्ययों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम रूपये बीस हजार आठ सौ तैतीस) निर्धारित है। इच्छुक वाहन प्रदाता एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन मंझनपुर कौशाम्बी से दिनांक 30.05.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक शुल्क रूपये एक सौ मात्र जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म ही निविदा के रूप में स्वीकार किये जायेंगे।

निविदायें दिनांक 31.05.2018 को अपरान्ह 01:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी, इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 31.05.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे खोला जायेगा।

इस कार्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये किसी भी/सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। **निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन, परिवर्तन का अधिकार जिला कार्यक्रम अधिकारी में निहित होगा।**

(राकेश कुमार मिश्र)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
कौशाम्बी।

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 -- कौशाम्बी।
पत्रांक 209 /जि0का0अधि0/2018–19 दिनांक 17 मई, 2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय कौशाम्बी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय कौशाम्बी।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कौशाम्बी को इस आशय से कि उपरोक्त को जनपद के पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना अधिकारी कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से भी प्रचार–प्रसार करते हुए अपनी परियोजना हेतु अपने परिक्षेत्र से उपरोक्त निविदा निर्धारित तिथि तक आमंत्रित कराना सुनिश्चित करें।
7. **सम्पादक 'दैनिक जागरण' हिन्दी दैनिक जनपद कौशाम्बी को इस आशय से कि उपरोक्त का प्रकाशन न्यूनतम दर एवं कॉलम में प्रकाशित कराने के साथ ही बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।**
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कौशाम्बी।